

## प्रेसनोट दिनांक 04.09.2023

1. दिनांक 03.09.23 को वादी उ0नि0 श्री सुनील कुमार थाना को0नगर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि मनोज कुमार पुत्र स्व0 बुद्धिलाल नि0 जलावनपुरा थाना को0अयोध्या अयोध्या।गिर0 अभि0 के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को0नगर में मु0अ0सं0 574/23 धारा 60(1) आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 03.09.23 को वादी उ0नि0 श्री अभिषेक त्रिपाठी थाना कैण्ट अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि कन्हैया यादव पुत्र हरभजन नि0 कोटसराय थाना कैण्ट अयोध्या।गिर0 अभि0 के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना कैण्ट में मु0अ0सं0 314/23 धारा 60(1) आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 03.09.23 को वादी उ0नि0 श्री संजय यादव थाना कैण्ट अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि रामलौट निषाद पुत्र रघुवीर नि0 दराबगंज थाना कैण्ट अयोध्या।गिर0 अभि0 के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना कैण्ट में मु0अ0सं0 316/23 धारा 60(1) आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 03.09.23 को वादी उ0नि0 श्री देवेन्द्रनाथ राय थाना को0अयोध्या अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि रामभवन पुत्र अगनू नि0 कूढा केशवपुर थाना को0अयोध्या अयोध्या।गिर0 अभि0 के कब्जे से 22 अदद पाउच देशी शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को0अयोध्या में मु0अ0सं0 500/23 धारा 60 आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
5. दिनांक 03.09.23 को वादी उ0नि0 श्री शशिप्रकाश वर्मा थाना रा0ज0भू0 अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि शिवा सोनकर पुत्र जगदीश नि0 मुराईटोला थाना रा0ज0भू0 अयोध्या।गिर0 अभि0 के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना रा0ज0भू0 में मु0अ0सं0 60/23 धारा 60(1) आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
6. दिनांक 03.09.23 को वादी उ0नि0 श्री अमित कुमार थाना पूराकलन्दर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि रामबरन पुत्र रामहेतु नि0 सरियांवा थाना पूराकलन्दर अयोध्या।गिर0 अभि0 के कब्जे से 30 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना पूराकलन्दर में मु0अ0सं0 432/23 धारा 60 आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
7. दिनांक 03.09.23 को वादी उ0नि0 श्री मुस्ताकर शाह थाना पूराकलन्दर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि रंजीत कुमार पुत्र स्व0 राजकरन नि0 बनकेगांव थाना पूराकलन्दर अयोध्या।गिर0 अभि0 के कब्जे से 30 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना पूराकलन्दर में मु0अ0सं0 433/23 धारा 60 आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
8. दिनांक 03.09.23 को वादी उ0नि0 श्री अमित कुमार सिंह थाना पूराकलन्दर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि राजकरन पुत्र ओरौनी नि0 पूरे हुसैन थाना को0नगर अयोध्या।गिर0 अभि0 के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना पूराकलन्दर में मु0अ0सं0 434/23 धारा 60 आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
9. दिनांक 03.09.23 को वादी उ0नि0 श्री वीरेन्द्र कुमार पाल थाना पूराकलन्दर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि निन्ही पुत्र स्व0 प्रेमनाथ नि0 फुलवरिया थाना पूराकलन्दर अयोध्या।गिर0 अभि0 के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना पूराकलन्दर में मु0अ0सं0 435/23 धारा 60 आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
10. दिनांक 03.09.23 को वादी उ0नि0 श्री मनोज कुमार प्रजापति थाना पूराकलन्दर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि दीपक कुमार पुत्र सहतू नि0 पगलाभारी थाना पूराकलन्दर अयोध्या।गिर0 अभि0 के कब्जे से

20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना पूराकलन्दर में मु0अ0सं0 436/23 धारा 60 आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

11. दिनांक 03.09.23 को वादी उ0नि0 श्री सतीशचन्द्र थाना गोसाईगंज अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि राकेश पुत्र कोटेश्वर नि0 सुमैना थाना गोसाईगंज अयोध्या। गिर0 अभि0 के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना गोसाईगंज में मु0अ0सं0 236/23 धारा 60 आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

12. दिनांक 03.09.23 को वादी उ0नि0 श्री दिवाकर पाण्डेय थाना महाराजगंज अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि जियालाल पुत्र रामलाल नि0 काजीपुर थाना महाराजगंज अयोध्या। गिर0 अभि0 के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना महाराजगंज में मु0अ0सं0 262/23 धारा 60 आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

13. दिनांक 03.09.23 को वादी उ0नि0 श्री विजय कुमार यादव थाना महाराजगंज अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि रामधीरज पुत्र परतोषी नि0 कनकपुर थाना महाराजगंज अयोध्या। गिर0 अभि0 के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना महाराजगंज में मु0अ0सं0 263/23 धारा 60 आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

14. दिनांक 03.09.23 को वादी आरक्षी श्री अजीत सिंह थाना रौनाही अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि भोला पुत्र नन्दराम नि0 तहसीनपुर थाना रौनाही अयोध्या। गिर0 अभि0 के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना रौनाही में मु0अ0सं0 432/23 धारा 60 आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

15. दिनांक 03.09.23 को वादी उ0नि0 श्री हरेकृष्ण थाना रौनाही अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि रामभवन पुत्र रमेश्वर नि0 ड्योढी बाजार थाना रौनाही अयोध्या। गिर0 अभि0 के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना रौनाही में मु0अ0सं0 433/23 धारा 60 आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

16. दिनांक 03.09.23 को वादी उ0नि0 श्री अशोक कुमार थाना रौनाही अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि अरुण कुमार पुत्र किशोर नि0 चिरा थाना रौनाही अयोध्या। गिर0 अभि0 के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना रौनाही में मु0अ0सं0 434/23 धारा 60 आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

17. दिनांक 03.09.23 को वादी उ0नि0 श्री जयकिशोर अवस्थि थाना को0बीकापुर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि रामआशीष पुत्र स्व0 जग्गू नि0 दराबगंज थाना को0बीकापुर अयोध्या। गिर0 अभि0 के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को0बीकापुर में मु0अ0सं0 436/23 धारा 60 आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

18. दिनांक 03.09.23 को वादी उ0नि0 श्री राहुल कुमार पाण्डेय थाना हैदरगंज अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि झिन्नु लाल पुत्र रामरूप नि0 सराय मनोहर थाना हैदरगंज अयोध्या। गिर0 अभि0 के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना हैदरगंज में मु0अ0सं0 171/23 धारा 60 आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

19. दिनांक 03.09.23 को वादी मु0आरक्षी दिलीप कुमार थाना तारुन अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि गोविन्द पुत्र रामसवारे नि0 नेतवारी चतुरपुर थाना तारुन अयोध्या। गिर0 अभि0 के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना तारुन में मु0अ0सं0 235/23 धारा 60 आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

20. दिनांक 03.09.23 को वादी उ0नि0 श्री मिथिलेश कुमार सिंह थाना तारुन अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि मंगरू पुत्र नंगू नि0 भवानीपुर थाना तारुन अयोध्या। गिर0 अभि0 के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब

नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना तारून में मु0अ0सं0 236/23 धारा 60 आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

21. दिनांक 03.09.23 को वादी उ0नि0 श्री अक्षय कुमार पटेल थाना इनायतनगर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि अमरीश कुमार पुत्र सुरेश नि0 मुबारकपुर थाना इनायतनगर अयोध्या। गिर0 अभि0 के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना इनायतनगर में मु0अ0सं0 380/23 धारा 60(1) आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

22. दिनांक 03.09.23 को वादी उ0नि0 श्री राजेश कुमार यादव थाना इनायतनगर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि मनोज कुमार पुत्र मंगूरी नि0 पूरे सुबेदार थाना इनायतनगर अयोध्या। गिर0 अभि0 के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना इनायतनगर में मु0अ0सं0 381/23 धारा 60(1) आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

23. दिनांक 03.09.23 को वादी उ0नि0 श्री उमेश कुमार वर्मा थाना कुमारगंज अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि रवीन्द्र कुमार पुत्र अमर बहादुर नि0 गोकुला थाना कुमारगंज अयोध्या। गिर0 अभि0 के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना कुमारगंज में मु0अ0सं0 156/23 धारा 60 आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

24. दिनांक 03.09.23 को वादी उ0नि0 श्री मनीष चतुर्वेदी थाना कुमारगंज अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि हरिशंकर पुत्र रामजियावन नि0 घोड़वल थाना कुमारगंज अयोध्या। गिर0 अभि0 के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना कुमारगंज में मु0अ0सं0 157/23 धारा 60 आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

25. दिनांक 03.09.23 को वादी आरक्षी श्री धर्मेन्द्र यादव थाना खण्डासा अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि पत्नी जंगबहादुर नि0 रायपट्टी थाना खण्डासा अयोध्या। गिर0 अभि0 के कब्जे से 15 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना खण्डासा में मु0अ0सं0 178/23 धारा 60(1) आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

26. दिनांक 03.09.23 को वादी आरक्षी श्री सौरभ यादव थाना खण्डासा अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि राजन पुत्र धर्मपाल नि0 सुरवारा थाना खण्डासा अयोध्या। गिर0 अभि0 के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना खण्डासा में मु0अ0सं0 179/23 धारा 60(1) आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

27. दिनांक 03.09.23 को वादी आरक्षी श्री अंकित कुमार थाना खण्डासा अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि नन्कऊ पुत्र मस्तराम नि0 डिली सरैया थाना खण्डासा अयोध्या। गिर0 अभि0 के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना खण्डासा में मु0अ0सं0 180/23 धारा 60(1) आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

28. दिनांक 03.09.23 को वादी उ0नि0 श्री जयसिंह थाना को0रुदौली अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि शिवराम गौतम पुत्र होरई नि0 गौरी का पुरवा थाना को0रुदौली अयोध्या। गिर0 अभि0 के कब्जे से 40 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को0रुदौली में मु0अ0सं0 430/23 धारा 60 आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

29. दिनांक 03.09.23 को वादी उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार थाना को0रुदौली अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि राजाराम पुत्र स्व0 कुंवारे नि0 जोगिया थाना को0रुदौली अयोध्या। गिर0 अभि0 के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को0रुदौली में मु0अ0सं0 433/23 धारा 60 आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

30. दिनांक 03.09.23 को वादी उ0नि0 श्री इशाक खान थाना को0रुदौली अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि दताराम पुत्र चेताराम नि0 दशरथमऊ थाना को0रुदौली अयोध्या। गिर0 अभि0 के कब्जे से 40 लीटर

कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना कोरूदौली में मु0अ0सं0 434/23 धारा 60 आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

31. दिनांक 03.09.23 को वादी आरक्षी श्री देवराज सिंह थाना मवई अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि मिहिलाल रावत पुत्र स्व0 रामसुमीत नि0 सड़वा थाना मवई अयोध्या। गिर0 अभि0 के कब्जे से 30 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना मवई में मु0अ0सं0 126/23 धारा 60 आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

32. दिनांक 03.09.23 को वादी उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना मवई अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि मो0 अब्दुल समद पुत्र मो0 खलील नि0 मोहम्मदपुर थाना मवई अयोध्या। आदि 04 नफर सभी गिर0 अभियुक्तगण द्वारा सार्वजनिक स्थान पर रुपये की हार जीत की बाजी लगाकर ताश के पत्तों से जुआ खेलना, मौके से मालफड़ व जामातलाशी से 3470 रुपये व 52 ताश के पत्ते बरामद होना। जिसके संबंध में थाना मवई में मु0अ0सं0 127/23 धारा 13 जुआ अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

33. दिनांक 03.09.23 को वादी उ0नि0 श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह थाना बाबा बाजार अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि रामपाल पुत्र राजाराम नि0 देवईत थाना बाबा बाजार अयोध्या। गिर0 अभि0 के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना बाबा बाजार में मु0अ0सं0 111/23 धारा 60 आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

34. दिनांक 03.09.23 को वादी उ0नि0 श्री कुंवर सिंह थाना बाबा बाजार अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि चमनलाल पुत्र छोटेलाल नि0 चन्द्रामऊ थाना बाबा बाजार अयोध्या। गिर0 अभि0 के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना बाबा बाजार में मु0अ0सं0 112/23 धारा 60 आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

35. दिनांक 03.09.23 को वादी उ0नि0 श्री सुधाकर सिंह थाना पटरंगा अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि राकेश उर्फ करिया पुत्र विजयी नि0 गजकरी थाना पटरंगा अयोध्या। गिर0 अभि0 के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना पटरंगा में मु0अ0सं0 194/23 धारा 60 आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

36. दिनांक 03.09.23 को वादी उ0नि0 श्री कमलेश कुमार सरोज थाना पटरंगा अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि कन्धई पुत्र चन्द्रभान नि0 जंगीश का पुरवा थाना पटरंगा अयोध्या। गिर0 अभि0 के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना पटरंगा में मु0अ0सं0 196/23 धारा 60(1) आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।